Sector Undertakings in the country last year (1991-92) and in the current year so far;

(b) what is the number of the retrenched employees in Public Sector Undertakings who have been rehabilitated and compensated and how much expenditure has been incurred for the purpose in the year 1991-92 and 1992-93;

(c) what effective steps are being taken to retrench the employees of the over-staffed Public Sector Undertakings; and

(d) what steps are being taken by Government to persuade and convince the labour organisations to co-operate with the Government for effective pruning of over-staffed employees in the Public Sector Undertakings ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) According to the available information the numbers of workers retrenched in the Public Sector Undertakings in 1991 and 1992 were 542 and 1163 respectively. Information in respect of 1993 is not available.

(b) The Industrial Disputes Act, 1947, provides for compensation to the workmen in the event of retrenchment. Retrenched workmen are to be paid compensation at the rate of 15 days' wages for every completed year of service. Information on expenditure incurred for payment of compensation to the retrenched workers is not maintained.

(c) and (d) The Department of Public Enterprises have formulated guidelines for Voluntary Retirement Scheme for employees of Central Public Sector Undertakings. The Voluntary Retirement Scheme is aimed at reducing the surplus manpower in such undertakings. Government has established a National Renewal Fund as a social safety net for the workers who are likely to be affected as a result of technological upgradation and modernisation under the new Industrial Policy. Government has also constituted a Special Tripartite Committee to consider the impact of new Industrial Policy on labour and reactivated Tripartite Industrial Committees on six industries. In the meetings of these Committees rationalisation of workforce in the industrial undertakings has, inter alia, been discussed with the representatives of workers' organisation.

श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

3891. **चौधरी हरिं सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और इस समय वे किस-किस पद पर कार्यरत हैं; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों को राजपत्रित अधिकारियों के रूप में भर्ती करने के लिए निकट भविष्य में कोई विशेष अभियान शुरू करने का विचार रखता है; यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) एक अलग विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

क्रम सं०	पद का नाम और वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	संयुक्त सचिव या समतुल्य (5900–8700 रु०)	1	1
2.	निदेशक या समतुल्य (4500–5700 रु०)	4	1
3.	निदेशक या समतुल्य (4100–5300 रु०)	2	—
4.	उप सचिव/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या समतुल्य (3700–5000 रु०)	29	8
5.	संयुक्त निदेशक या समतुल्य (3000–5000 रु०)	1	2
6.	अवर सचिव/उप निदेशक या समतुल्य (3000–4500 रु०)	40	12
7.	सहायक निदेशक या समतुल्य (2200–3500 रु०)	50	18
8.	अनुभाग अधिकारी या समतुल्य (ग्रुप-ख) (2000–3500 रु०)	54	14
9.	*सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (2000–3200 रु०)	2	1
10.	*सहायक प्रशासनिक अधिकारी (1640–2900 रु०)	2	—
	कुल	185	57

*ये पद अधीनस्थ कार्यालयों में है और इन्हें प्रशासनिक कारणों से राजपत्रित घोषित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों की भूमिका

3892. **श्री सोम पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में किसी रोजगार कार्यालय की क्या भूमिका है;

(ख) वर्ष 1992 के प्रारंभ में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कितने बेरोजगार शिक्षित लोग थे और इनमें से कितने लोगों को रोजगार कार्यालयों की मदद से रोजगार मिला;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?